हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 7 के अधिवक्ता को पूर्व में बहस हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद आज अनुपस्थित। गत पेशी पर भी रेस्पोडेंट के अधिवक्ता को बहस हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था तथा आगामी पेशी पर बहस न करने पर अपील का निस्तारण गुणावगुणों पर करने के आदेश दिये गये थे। अपीलांट के अधिवक्ता के निवेदन पर अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 ता 7 के पिता व पति ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से चक 2 जे.आर.के. के पत्थर नम्बर 104/248 (39) के किला नम्बर 6-7-14-15 में से .253 हैक्टेयर यानि 1.00 बीघा भूमि संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1262 दिनांक 25.11.93 करवाकर जरिये बैयनामा दिनांक 28.12.1993 को रवि कुमार-विजय कुमार पिसरान सतलुज कुमार को बेच की तथा उक्त बैयनामा का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद नहीं हुआ। क्रेता-रवि कुमार-विजय कुमार पिसरान सतलुज कुमार ने संपरिवर्तन औद्योगिक आदेश क्रमांक 1495 दिनांक 04.12.94 करवाकर यह भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 23.1.2006 को अपीलांटान को बेच कर दी तथा उक्त बैयनामा का भी इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है। अपीलांट ने अपनी बहस में यह भी कथन किये कि रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 ता 7 के पिता व पति ने उक्त विक्रय की गई भूमि को छुपाते हुये राजस्व रिकार्ड में अंकन होने का नाजायज फायदा उठाते हुये अपीलांट द्वारा खरीदशुदा आराजी का नामान्तरण जरिये इन्तकाल संख्या 371 दिनांक 06.06.2011 [illegible] नाम दर्ज आराजी [illegible] पुत्र अनोख सिंह के करवा लिया [illegible] रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 7 के नाम की संपरिवर्तित [illegible] 0.253 [illegible] अधिपत्य व धारण जबकि 0.253 हैक्टेयर [illegible] आराजी भी शामिल की गई रेस्पोडेंटान [illegible] के अधिकारी नहीं है। संपरिवर्तन आराजी 0.253 हैक्टेयर पर आज भी खरीद के वक्त से अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 371 दिनांक 06.06.2011 व इन्तकाल संख्या 379 को निरस्त कर संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1262 दिनांक 25.11.93 व संपरिवर्तन औद्योगिक आदेश क्रमांक 1495 दिनांक 04.12.94 व बैयनामा दिनांक 28.12.1993, बैयनामा दिनांक 23.1.2006 के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये जावें। [illegible] अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन [illegible] रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 [illegible] पिता [illegible] अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से चक 2 जे.आर.के. [illegible] नम्बर 104/248 (39) के किला [illegible] यानि 1.00 बीघा भूमि [illegible] दिनांक 25.11.93 करवाकर जरिये [illegible] 28.12.1993 को रवि कुमार-विजय कुमार पिसरान सतलुज कुमार को [illegible] की हुई है तथा उक्त बैयनामा का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद नहीं हुआ। क्रेता-रवि कुमार-विजय कुमार पिसरान सतलुज कुमार ने भूमि का संपरिवर्तन औद्योगिक में बरूवे क्रमांक 1495 दिनांक 04.12.94 करवाकर जरिये बैयनामा दिनांक 23.1.2006 को अपीलांटान को बेच कर दी तथा उक्त बैयनामा का भी इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है। रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 3 ता 7	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.04.13 16:58:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के पिता व पति ने उक्त विक्रय की गई भूमि को छुपाते हुये राजस्व रिकार्ड में अंकन होने का नाजायज फायदा उठाते हुये अपीलांट द्वारा खरीदशुदा आराजी को शामिल करते हुये जरिये इन्तकाल संख्या 371 दिनांक 06.06.2011 के जरिये बलवेदर सिहं पुत्र अनोख सिहं के नाम दर्ज आराजी का विसस्तन रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 7 के नाम करवा लिया तथा अपीलांटान के आधिपत्य व धारण की संपरिवर्तित 0.253 हैक्टेयर आराजी भी शामिल की गई, जबकि 0.253 हैक्टेयर संपरिवर्तित आराजी का नामान्तरण रेस्पोडेंटान करवाने के अधिकारी नहीं है। संपरिवर्तन आराजी 0.253 हैक्टेयर पर आज भी खरीद के वक्त से अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा इस कारण अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाना न्यायोचित है।
	अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 371 दिनांक 06.06.2011 को संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 1262 दिनांक 25.11.93 में शामिल भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है तथा संपरिवर्तन आदेश क्रमाक 1262 दिनांक 25.11.93 व संपरिवर्तन औद्योगिक आदेश क्रमांक 1495 दिनांक 04.12.94 व बैयनामा दिनांक 28.12.1993, बैयनामा दिनांक 23.11.2006 के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
ह०/- सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	निर्णय आज दिनांक 31-3-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.04.13 16:58:36 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner